240

संख्या:–1439 /VI(1)/2015–03(12)/2004

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पर्यटन अनुभाग देहरादून दिनांक 16 सितम्बर, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 में भवन मरम्मत के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–202/2–6–68/2015, दिनांक 21 अगस्त, 2015 तथा पत्र संख्या–119/2–6–652/2015, दिनांक 2 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में भवन मरम्मत के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु शासनादेश संख्या–448/VI(1)/2015–03(12)/2004, दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा स्वीकृत किन्तु तकनीकी कारणों से आहरित न की जा सकी। अतः उक्त शासनादेश संख्या–448/VI(1)/2015–03(12)/2004, दिनांक 31 मार्च, 2015 को निरस्त करते हुए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय भवन के मरम्मत कार्य हेतु आगणन लागत ₹ 19.50 लाख की टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹ 16.49 लाख **(सिविल कार्य के अन्तर्गत ₹ 6.28 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत ₹ 10.21 लाख)** की प्रशासकीय स्वीकृति सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय भवन की मरम्मत मद में प्राविधानित धनराशि ₹ 30.00 लाख में से धनराशि ₹ 16.49 लाख **(रूपये सोलह लाख उनचास हजार मात्र)** व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(i) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(ii) कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए तथा एक मद की धनराशि दूसरे मद में कदापि व्यय न की जाय।

(iii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(iv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।

(v) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।

(vii) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा इसके क्रम में समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(viii) आवंटित धनराशि का उपभोग 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जाय। अवशेष धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित कर दी जाय।

...2

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की जा रही है। मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं होगा। बजट योजनावार आवंटन उसके विपरीत मासिक योजनावार व्यय का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(x) वित्तीय वर्ष के अन्त में कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(xi) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(xii) कार्यदायी संस्था के निधारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संवर्धन तथा प्रचार–04–राज्य सेक्टर–48–विभागीय भवनों की मरम्मत–24–वृहद् निर्माण कार्य के मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–146/XXVII(2)/2015, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 के प्राविधानों द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.1509260138 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमाकान्त पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्याः– 1438/VI(1)/2015–03(12)/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी,साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– जिलाधिकारी, देहरादून।
5– क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7– सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
उप सचिव।